

18.09.23

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा या शर्मा
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी वकील शर्मा या शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ
बल्कि शर्मा का यह बयाना पत्र अम्पेक्षी अदम
दालिमी में इसी स्तर पर पारित किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरीक तकमील
दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जुरे ग्रापालप में
सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.